राजस्व पर्षद, बिहार।

सं.सं.– 2/परी0–01(राज0)–19/2017–

प्रेषक,

राजेश कुमार, भा.प्र.से.,
सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–.....................

विषयः– राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा के निमित्त मानदेय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राजस्व पर्षद, (केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार) द्वारा आयोजित होनेवाले विभिन्न विभागीय परीक्षाओं के संचालन में विभिन्न स्तर के सरकारी सेवकों से ली जानेवाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक/ मानदेय दरों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय परीक्षा समिति, (राजस्व पर्षद, बिहार) की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की सहमति से पारिश्रमिक तथा मानदेय की दरों में निम्न प्रकार वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है :–

क्रमांक	व्यय का मद	पूर्व स्वीकृत दर	वर्त्तमान स्वीकृत दर
1.	केन्द्राधीक्षक	1000/– रू0 प्रति दिन	1500/– रू0 प्रति दिन
2.	सहायक केन्द्राधीक्षक	750/– रू0 प्रति दिन	1125/– रू0 प्रति दिन
3.	राजपत्रित वीक्षक	500/– रू0 प्रति दिन	750/– रू0 प्रति दिन
4.	अराजपत्रित वीक्षक	400/– रू0 प्रति दिन	600/– रू0 प्रति दिन
5.	प्रश्नपत्रों का चयन	5,000/– रू0 प्रति प्रश्नपत्र	10,000/– रू0 प्रति प्रश्नपत्र
6.	उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन	50/– रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका	100/– रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका
7.	मूल्यांकन हेतु कम से कम राशि	200/– रू0 समेकित	200/– रू0 समेकित
8.	हिन्दी मौखिक बोर्ड/ निबंधन मौखिक बोर्ड/ अध्यक्ष/ सदस्य	25/– रू0 प्रति उम्मीदवार	50/– रू0 प्रति उम्मीदवार
9.	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी/ पानी संवाहक/ झाडु कश आदि	200/– रू0 प्रति दिन	300/– रू0 प्रति दिन
10.	दण्डाधिकारी मानदेय	500/– रू0 प्रति दिन	750/– रू0 प्रति दिन
11.	आरक्षी पदाधिकारी मानदेय	250/– रू0 प्रति दिन	375/– रू0 प्रति दिन
12.	आरक्षी सिपाही मानदेय	150/– रू0 प्रति दिन	225/– रू0 प्रति दिन

2. पूर्व के आदेश सं0– 1460 दिनांक– 05.11.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

3. मानदेय में वृद्धि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– सं.सं.– 2/परी0–01(राज0)–19/2017–1722 पटना, दिनांकः– 03-07-2017

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ विधि परामर्शी–सह–विधि सचिव, विधि विभाग, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeh.
03/7/2017
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

03/07/17

D:\Exam section\file_no_2_pari_01_raj_19_2017.docx